PRESS NOTE

गत दिनाक १२/०१/२०१९ को समय करीब १४:०० बजे जम्पोर गॉव के रहेवासी ने कोस्टल पोलिस स्टेशन में फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी की भाणा खाल्पा की वाडी, जम्पोर, मोटी दमण में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी पड़ी हुइ है | इस जानकारी के आधार पर कोस्टल पोलिस स्टेशन, मोटी दमण के इन्चार्ज एवम कोस्टल पोलिस स्टेशन के स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुचे और घटनास्थल का निरिक्षण किया जहा पर एक मृतक महिला की लाश पड़ी हुई मिली जिसका गला किसी तीक्ष्ण हथियार से कटा हुआ था, जिसकी आयु करीबन 35 साल होना मालूम हुआ | उपरोक्त घटना के बारे में सुपीरियर अधिकारीओ को बताया गया और उनके निर्देश के अनुसार कोस्टल पोलिस स्टेशन, मोटी दमण में अपराध संख्या नं १२/२०१९ धारा ३०२ भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया | और सुपीरियर अधिकारी के निर्देश अनुसार घटना स्थल पर FSL टीम को बुलाया गया |

अपराध की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए महोदय DIGP दमण एवम् दिव और दादरा नगर हवेली श्री ब्रजेशकुमार सिंह, महोदय पोलिस अधीक्षक श्री विक्रमजीत सिंग, उप प्रभागीय पोलिस अधिकारी विपुल अनेकांत एवम् इन्चाज कोस्टल पोलिस स्टेशन मोटी दमण सुरेश शाह के मार्गदर्शन में पोलिस सब इंस्पेक्टर आई.जे. मन्सूरी, बी.जे. सोलंकी, सेजल पटेल एवम् हेड कोंस्टेबल प्रमेश सोलंकी, पोलिस कोंस्टेबल रमेश मकवाणा, जिग्नेश पटेल की टीम बनाकर अलग अलग दिशा में केस की तफ्तीश प्रारंभ की गई | अपराध की आगे की तफ्तीश जॉच अधिकारी पोलिस सब इंस्पेक्टर जय पटेल द्वारा चालू की गई |

प्रारंभिक तफ्तीश में मृतक महिला की पहचान हुयी जिसमे उसका नाम कुसुम देवी आयु-३६ साल, रहेवासी- दाभेल, आटीयावाड मालूम हुआ और उनके नजदीकी रिश्तेदार एवम् पड़ोसी से पूछताछ की गयी और CCTV केमेरा, इंटेलिजेंस की सहायता से शक के आधार पर तीन चार व्यक्तियो से पूछताछ की गयी जिसमे एक व्यक्ति जिनका नाम रोहित सुरेन्द्रनाथ तिवारी आयु २४ साल रहेवासी आटीयावाड , दाभेल, मूल निवासी - भाखरना , फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहनेवाले को शक के दायरे में कोस्टल पोलिस स्टेशन मोटी दमण लाकर पूछताछ की गयी जिसमे उसने अपना गुनाह कबुल किया और उसने बताया की पैसे की लेनदेन के कारण उसने कुसुम देवी की हत्या की |

इस तरह दमण पोलिस ने मर्डर केस की गुत्थी २४ घंटे के अन्दर सुल्ज़ा कर अपराधी रोहित सुरेन्द्रनाथ तिवारी को पकड़कर केस में सफलता प्राप्त की|

ISSUED BY
DAMAN POLICE